उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5420/62-2-2017-01एम0आई0/2015
लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर,2017

कार्यालय ज्ञाप

जनपद झॉसी में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित/जीर्णोद्धार कराये गये कूपों में गम्भीर अनियमितता की जॉच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ से कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री जय प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई झॉसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सहारनपुर, श्री कपिल देव, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद झॉसी सम्प्रति सेवा निवृत्त, सर्वश्री शशिकान्त वर्मा, मो0 नावेद एवं मो0 शादाब, अवर अभियंतागण, लघु सिंचाई जनपद झॉसी के विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण् अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिकारियों के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

मोनिका एस. गर्ग
प्रमुख सचिव।

सं0-5420(1)/62-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण् अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ/जॉच अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री जय प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई झॉसी सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सहारनपुर, श्री कपिल देव, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद झॉसी सम्प्रति सेवा निवृत्त, सर्वश्री शशिकान्त वर्मा, मो0 नावेद एवं मो0 शादाब, अवर अभियंतागण, लघु सिंचाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद झॉसी के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियॉ साक्ष्यों सहित संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारियों को तामील कराकर तामीली की सूचना से शासन को अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-2074/स्था0-1 (53)/टी.ए.सी.जांच-झॉसी/2017,दिनांक 05.06.2017 एवं पत्र सं0-जी-359/स्था0-1(53)/टी.ए.सी.जांच-झॉसी/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं के संदर्भ में।

3- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।